अध्याय–III

शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली

सारांश

कुल 169 शहरी स्थानीय निकायों में से 151 में उनकी शहरी शासन है जहां दिसंबर 2019 में चुनाव हुए थे और 15 शहरी स्थानीय निकायों में एक साल की देरी से दिसंबर 2021 में चुनाव हुए। शेष तीन शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के प्रशासक पद के अधीन कार्य कर रहे थे। इस प्रकार निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव कराने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

कई शहरी स्थानीय निकाय वस्तुतः निष्क्रिय हैं जैसे की नमूना–जांच किए गए 27 में से 11[3] शहरी स्थानीय निकायों में निगम/परिषदों की निर्धारित बैठकें भी नहीं हुई थीं। सलाहकार समितियों का गठन 10 शहरी स्थानीय निकायों में नहीं किया गया था। नमूना–जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में से नगर निगम, कोरबा के अतिरिक्त किसी में भी वार्ड और मोहल्ला समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसने स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी को सुगम बनाने के साथ–साथ विकास कार्यों की प्राथमिकता और निगरानी के उद्देश्य को विफल किया। जिला योजना समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई तथा समग्र रूप से जिले के लिए समेकित जिला विकास योजनाएँ स्थानीय आव"यकताओं एवं सामान्य हितों के विषयों को ध्यान में रखकर किसी भी 12 जिलों में तैयार नहीं की गई जहॉ नमूना जांच किये गये 27 शहरी निकाय स्थित थें। नमूना जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में 20,526 लेखापरीक्षा कण्डिकायें लम्बित थी। समस्त 169 शहरी स्थानीय निकायों में प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अंगीकृत किया गया है।

राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी (पहले से तीसरे) और उनके सिफारिश प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में देरी के साथ–साथ सिफारिशों को स्वीकार करने तथा निधि के कार्यान्वयन/हस्तांतरण में देरी ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पांचवें राज्य वित्त आयोग के गठन लम्बित होने के बावजूद भी द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अनुसार निधि का हस्तांतरण किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों के पास संविदा आधारित कर्मियों के अतिरिक्त न तो कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकलन करने की शक्ति है और न ही आवश्यक स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति है। राज्य सरकार समूह क,ख और ग कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और उनकी सेवाओं की शर्तों, अनुशासन, साथ ही आचरण को विनियमित करने की शक्तियां भी राज्य सरकार के पास निहित हैं।

3.1 कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 विषयों के संबंध में कार्य करने और योजनाओं को लागू करने के लिए सशक्त बनाने की मांग की। प्रत्येक राज्य से संविधान संशोधन को लागू करने के लिए एक कानून बनाने की उम्मीद की गई थी। कुल

[3] रायपुर, दुर्ग, भिलाई, तिल्दा, कवर्धा, डभरा, जरही, गण्डई, बीजापुर, सुकमा और बैकुण्ठपुर

18 कार्यों में से आठ प्रत्येक अनिवार्य[4] और विवेकाधीन[5] थे और दो शहरी स्थानीय निकायों के लिए दोहरी प्रकृति के थे।

हमने देखा (**तालिका 3.1**) कि अनुसूची में निर्दिष्ट 18 कार्यों में से शहरी स्थानीय निकाय आठ कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, एक कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, छः कार्यों में दोहरी भूमिका थी, दो कार्यों में केवल क्रियान्वयन एजेंसियां थीं और भू–उपयोग के नियमितीकरण के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों का अन्य विभागों के साथ एक अतिव्यापी क्षेत्राधिकार था।

तालिका 3.1: कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति

सरल क्रमांक	अनिवार्य (अ)/विवेकाधीन (वि)	गतिविधियां	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
कार्य जहां शहरी स्थानीय निकाय का पूर्ण अधिकार क्षेत्र ह			
1.	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति (अ)	पानी का वितरण	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		कनेक्शन प्रदान करना	
		संचालन और रखरखाव	
		शुल्क का संग्रह	
2.	स्लम सुधार और उन्नयन (वि)	हितग्राहियों की पहचान	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		किफायती आवास	
		उन्नयन	
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन (वि)	हितग्राहियों की पहचान	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		आजीविका और रोजगार	
		पुटपाथ विक्रेता	
4.	शहरी सुविधाओं और पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान (वि)	पार्कों और उद्यानों का निर्माण	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		संचालन और अनुरक्षण	
5.	दफन और कब्रिस्तान, श्मशान, श्मशानघाट (अ)	श्मशान और कब्रिस्तान एवं बिजली के शवदाह गृह का निर्माण और संचालन तथा रखरखाव।	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
6.	मवेशी तालाब, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (अ)	आवारा पशुओं को पकड़ना और रखना	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		बंध्याकरण और एंटी–रेबीज	
		पशु सुरक्षा सुनिश्चित करना	
7.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं (अ)	स्ट्रीट लाइट की स्थापना और रखरखाव	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		बस मार्गों का निर्धारण और संचालन	संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला शहरी लोक समिति इस कार्य का निर्वहन कर रही है।
		पार्किंग स्थल का निर्माण और रखरखाव	शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट सिटी, पार्किंग स्थल का रखरखाव कर रहे हैं।
		सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रखरखाव	
8.	बूचड़खानों और चर्मशोधन	पशुओं और मांस की गुणवत्ता	इन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी

[4] कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाएंगे।

[5] ऐसे कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना अनिवार्य नहीं है।

सरल क्रमांक	अनिवार्य (अ) / विवेकाधीन (वि)	गतिविधियां	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
	कारखानों का विनियमन (अ)	सुनिश्चित करना	स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		कचरे का निपटान	
		बूचड़खानों का संचालन एवं रखरखाव	
शहरी स्थानीय निकायों के लिए बिना किसी भूमिका वाले कार्य			
9.	अग्निशमन सेवाएं (वि)	फायर ब्रिगेड की स्थापना और रखरखाव	यह कार्य शहरी स्थानीय निकायों से वर्ष 2015 में वापस ले लिया गया और अब गृह विभाग के पास निहित है। हालांकि, तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन सेवाओं को स्थानांतरित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर पालिका परिषद, सुकमा को एक फायर वाहन की खरीदी के लिए मंजूरी दी और बाद में जिला कमांडेंट, नगर सेना को स्थानांतरित कर दिया गया।
		गगनचुंबी इमारतों के संबंध में अग्नि एनओसी / अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रदान करना	
दोहरी भूमिकाओं के साथ कार्य			
10.	नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन (वि)	मास्टर प्लानिंग / विकास योजनाएँ / क्षेत्रीय योजनाएँ	मास्टर प्लान नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय, छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
		मास्टर प्लानिंग नियमों को लागू करना	
		भवन उपनियमों और लाइसेंसों को लागू करना	इस सेवा के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		समूह आवास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	शहरी स्थानीय निकाय और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
11.	सड़कें और पुल (अ)	सड़कों का निर्माण और रखरखाव	शहरी स्थानीय निकायों ने सड़कों, नालों और फुटपाथों के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था।
		पुलों, नालों, फ्लाईओवर और फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव	
12.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (अ एंड वि)	अस्पतालों, औषधालयों का रखरखाव	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सेवा का निर्वहन किया जा रहा है।
		प्रतिरक्षण / टीकाकरण	
		जन्म और मृत्यु का पंजीकरण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा सेवा का निर्वहन किया जा रहा है।
		संक्रामक रोग से प्रभावित इलाकों की सफाई और कीटाणुशोधन	इन तीन कार्यों के निर्वहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से जिम्मेदार थे।
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	
		सार्वजनिक बाजारों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण	
13.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को	वनीकरण	वन विभाग द्वारा इन सेवाओं का निर्वहन किया जा रहा है।
		हरितीकरण	
		जागरूकता अभियान	

सरल क्रमांक	अनिवार्य (अ)/विवेकाधीन (वि)	गतिविधियां	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
	बढ़ावा देना (वि)	पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना	
		जल निकायों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव।	शहरी स्थानीय निकाय एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इस कार्य का निर्वहन किया जा रहा है।
14.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना (अ एंड वि)	स्कूल और शिक्षा	स्कूल और शिक्षा कार्यवर्ष 2015 में वापस ले लिया गया और शिक्षा विभाग सेवा का निर्वहन कर रहा है। हालाँकि एक प्राथमिक विद्यालय अभी भी एक नगर पालिका परिषद के तहत संचालित था। चार नगर निगमों और एक नगर पंचायत द्वारा शिक्षा उपकर एकत्रित किया गया, भले ही कोई शिक्षण संस्थान उनके नियंत्रण में नहीं था।
		सार्वजनिक स्थान का सौंदर्यीकरण	शहरी स्थानीय निकाय इन सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं।
		मेले और त्यौहार	
		सांस्कृतिक भवन	शहरी स्थानीय निकाय, संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग इन सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं।
		संस्थान	
		विरासत	
15.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े (अ)	जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पतालों/श्मशान आदि के साथ समन्वय करना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सेवा का निर्वहन किया जा रहा है।
		डेटाबेस का संधारण और अद्यतन करना	
मात्र कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप मेंशहरी स्थानीय निकाय			
16.	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना (वि)	आर्थिक गतिविधियों के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन	इन कार्यों के लिए राज्य के विभाग जैसे सामाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों का अधिकारिता और जिला शहरी विकास प्राधिकरण (जिला शहरी विकास एजेंसी) जिम्मेदार थे। शहरी स्थानीय निकाय केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए केवल एक कार्यान्वयन शाखा थी।
		सामाजिक विकास के लिए नीतियां	
17.	विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना (वि)	हितग्राहियों की पहचान	
		तिपहिया साइकिल जैसे लाभ/उपकरण प्रदान करना	
		आवास कार्यक्रम	
		छात्रवृत्ति	
राज्य के विभागों या पैरास्टेटल के साथ न्यूनतम भूमिका और/या अतिव्यापी क्षेत्राधिकार वाले कार्य			
18.	भूमि उपयोग का नियमितीकरण और भवनों के निर्माण (वि)	भूमि उपयोग का नियमितीकरण	राजस्व विभाग (कलेक्टर कार्यालय)
		भवन योजनाओं/ऊंचाइयों को मंजूरी देना	शहरी स्थानीय निकाय, नगर और ग्राम निवेश
		अवैध इमारतों को ध्वस्त करना	शहरी स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम से प्राप्त सूचना)

राज्य में स्थानीय स्वशासन को कार्यों के संपूर्ण हस्तांतरण के बिना मजबूत नहीं किया जा सकता है। स्मार्ट शहरों के आगमन ने शहरी स्थानीय निकायों के दायरे को और घटा दिया है।

बॉक्स 1: छत्तीसगढ़ में शहरी स्थानीय निकायों पर स्मार्ट सिटी का प्रभाव

भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को "100 स्मार्ट सिटी मिशन" की शुरुआत उन शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण एवं स्मार्ट समाधान का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ में दो शहरों रायपुर और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। स्मार्ट शहरों को वर्ष 2016–20 की अवधि के दौरान ₹ 1355 करोड़ के वित्तीय संसाधन दिए गए थे। मिशन के दिशानिर्देशों के तहत स्मार्ट शहर सड़कों और मकानों के निर्माण, पार्कों का विकास और रखरखाव, विरासत स्थलों का नवीनीकरण आदि के लिए जिम्मेदार हैं। स्मार्ट शहरों के गठन से शहरी स्थानीय निकायों के काम का दायरा एवं विस्तार कम हो जायेगा और शहरी स्थानीय निकाय की हस्तांतरित निधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा शहरी स्थानीय निकायों के पहले से ही तनावग्रस्त राजस्व को और कम करेगा।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि पर्याप्त मानव बल और क्षमता निर्माण की कमी के कारण समस्त 18 कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किया जा सका और शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आगे बताया गया कि शहरी स्थानीय निकाय को अग्निशमन सेवाओं को गृह विभाग को स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि राज्य की स्थापना के 20 वर्षों के बाद भी कार्यों का हस्तांतरण पूर्ण नहीं किया जा सका है। शहरी स्थानीय निकायों से दो कार्यों को वापस लेना एकपक्षीय और 74वें संविधान संशोधनअधिनियम की भावना के विपरीत है।

3.2 मानव बल पर सीमित भाक्तियाँ

शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत संगठित किया गया है जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: शहरी स्थानीय निकायों में कार्यात्मक संगठन

सरल क्रमांक	शाखा/अनुभाग का नाम	कार्य
1	सामान्य प्रशासन	सामान्य प्रशासन,परिषद और समितियों की बैठकों सहित ।
2	जल कार्य और सीवरेज	निर्माण /ओ एंड एम /जल आपूर्ति और सीवरेज का नेटवर्क आदि।
3	लोक निर्माण और बागवानी	सड़कों, नालों, भवनों, पार्कों, खेल के मैदानों, जल आपूर्ति का निर्माण/ओ एंड एम।
4	राजस्व	विभिन्न करों, किराए, विज्ञापनों और अन्य संपत्ति संबंधी गतिविधियों का आंकलन और संग्रहण।
5	वित्त एवं लेखा	लेखाओं की तैयारी और रखरखाव, बजट तैयार करना आदि।
6	विद्युत और यांत्रिकी	भारी/हल्के मोटर वाहनों आदि का रखरखाव और स्ट्रीट लाइटिंग ।
7	स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	स्वच्छता, सड़क की सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी अन्य गतिविधियां।
8	सार्वजनिक परिवहन और यातायात नियंत्रण	सार्वजनिक परिवहन और यातायात नियंत्रण आदि।
9	योजना और सूचना प्रौद्योगिकी	टाउन प्लानिंग गतिविधियाँ जैसे बिल्डिंग लाइसेंस आदि जारी करना।
10	शहरी गरीबी उपशमन	सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन

3.2.1 शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की स्थिति

मानव बल का मूल्यांकन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों पर इस दृष्टि से आधारित होना चाहिए कि सेवा उन्मुख अधिकांश कार्यों को उचित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। यह मूल्यांकन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं विभिन्न मानदंडों जैसे आच्छादित किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र की सीमा, जनसंख्या की सीमा और प्रकार, मौजूदा संपत्तियों की संख्या आदि पर विचार करके सबसे बेहतर किया जा सकता है।

हमने देखा कि शहरी स्थानीय निकायों के पास संविदा आधारित कर्मियों के अतिरिक्त न तो कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकलन करने की शक्ति थी और न ही आवश्यक स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति थी। ये शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों से वास्तविक आवश्यकता की मांग किए बिना मात्र जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकलन करती है जैसा कि आगे चर्चा की गई है। हमने यह भी देखा कि 63 नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों में छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा संवर्ग के अधिकारियों से भिन्न राजस्व अधिकारी और लेखापाल मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे।

इसके अलावा राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के बीच अधिकारियों के स्थानांतरण को प्रभावित कर सकती है। शहरी स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर जुर्माना लगाने के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील राज्य सरकार के पास है। समूह क, ख और ग के कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, और उनकी सेवाओं की शर्तों, अनुशासन, साथ ही आचरण को विनियमित करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास थीं।

कर्मचारियों की संख्या में संशोधन जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए नहीं किया गया था। वर्ष 2020[6] की अनुमानित जनसंख्या के प्रति 1000 कार्यरत मानव बल के आधार पर 27 शहरी स्थानीय निकायों में स्थिति को **चार्ट–1** में दर्शाया गया है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है सभी शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत मानव बल स्वीकृत संख्या से कम थे।

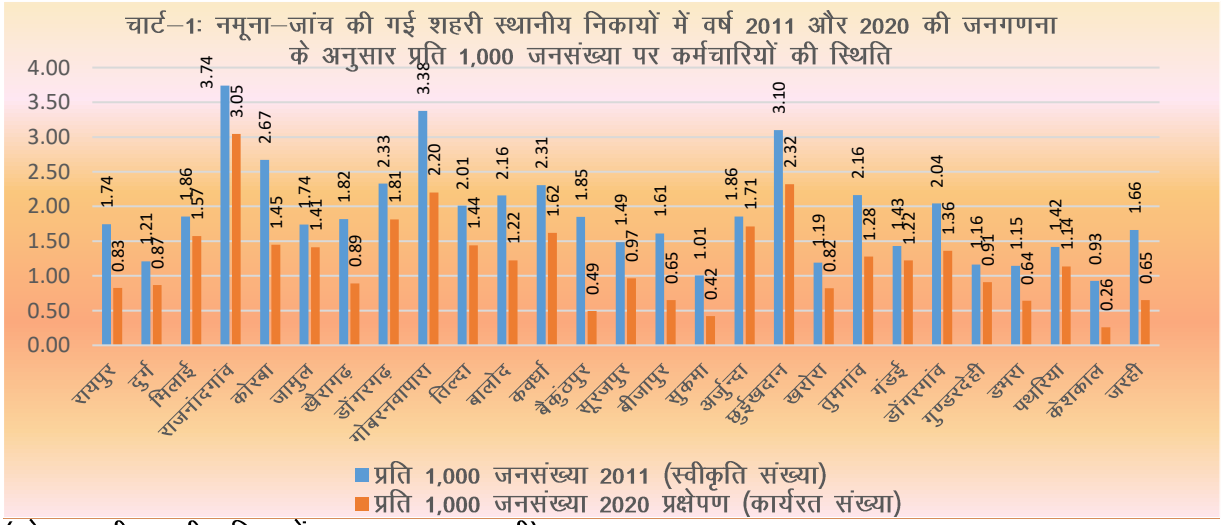

(स्रोतः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी)

[6] वर्ष 2020 की अनुमानित जनसंख्या = 2011 की जनसंख्याX 120%। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान अर्थात 10 वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि 22.61 प्रतिशत थी, इसलिए वर्ष 2011 से 2020 तक नौ वर्षों की वृद्धि की गणना 20 प्रतिशत के रूप में की गई।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में अनुसार स्वीकृत पदों, कार्यरत अमला और रिक्तियों को दर्शाने वाले श्रेणीवार कार्यरत मानव बल काविवरण **चार्ट–2** में दिया गया है।

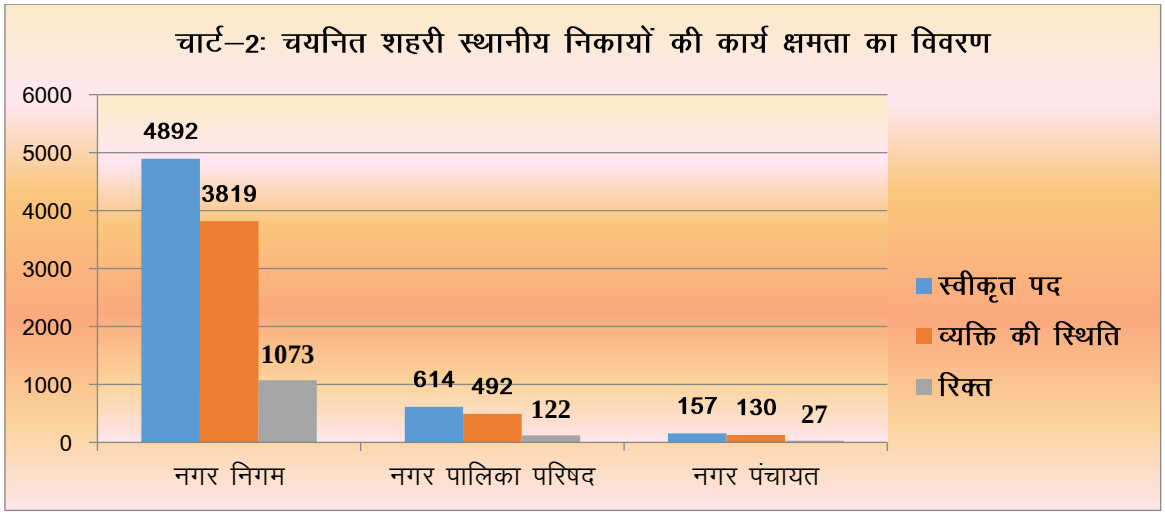

(स्रोतः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

जैसा कि **चार्ट–2** से देखा गया कि नगर निगम (1073) में कर्मचारियों की संख्या में रिक्तियां क्रमशः नगर पालिका परिषद (122) और नगर पंचायत (27) की तुलना में अधिक हैं।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि विभिन्न पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है एवं भर्ती के उपरांत छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा संवर्ग से मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पदस्थापित किया जायेगा।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र

तालिका 3.1 में शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति का विवरण दिया गया है। इन कार्यों का निर्वहन तभी प्रभावी हो सकता है जब उपयुक्त संस्थान स्थापित हों और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हों।

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियमों के तहत निगमों और नगर पालिकाओं में निर्वाचित पार्षदों/पार्षदों, मनोनीत पार्षदों/पार्षदों, विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य शामिल होते हैं जो आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में मनोनीत सदस्यों के पास मतदान की शक्ति नहीं होती है। एक महापौर यानी अध्यक्ष, सीधे नगर क्षेत्र से चुने जाते हैं और पार्षद सीधे वार्डों से चुने जाते हैं। आवंटित कार्यों के निर्वहन के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में क्रमशः 10, सात और पांच विभाग हैं। आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी प्रमुख होते हैं।

यह भाग ऐसे संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता पर चर्चा करता है:

3.3.1 राज्य चुनाव आयोग

(i) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का कार्य राज्य चुनाव आयोग को सौंपा जाए। इस सिफारिश को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

(ii) राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों में शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है।

(iii) हालांकि, छत्तीसगढ़ में स्थानीय सरकारी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शक्ति राज्य सरकार द्वारा बरकरार रखी गई है।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार नगर पालिका अधिनियम तैयार किए गए हैं और वार्डों के परिसीमन की शक्ति, परिषद के लिए सीटों का आरक्षण और महापौर/अध्यक्ष और वार्डों के पदों के लिए सीटों की रोटेशन नीति राज्य सरकारके साथ रखी गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का कार्य राज्य चुनाव आयोग को सौंपा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

3.3.2 चुनावों की स्थिति और परिषदों का गठन

प्रत्येक नगर पालिक निगम/नगर पालिका अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक जारी रहेगी जब तक कि इसके पहले भंग न हो जाए। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव उनकी अवधि समाप्त होने से पहले पूरे किए जाएंगे। भंग होने की स्थिति में उस तिथि से छः माह के भीतर चुनाव कराये जायेंगे। इन अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन महापौर/अध्यक्ष और प्रत्येक पार्षद का कार्यकाल निगम/परिषद के कार्यकाल के साथ–साथ समाप्त होगा।

कुल 169 में से 15 शहरी स्थानीय निकायों में जहां चुनाव नहीं हुए थे, की स्थिति नीचे **तालिका 3.3** में दर्शायी गई है:

तालिका 3.3: शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन

सरल कमांक	पिछला चुनाव हुए		चुनाव होना था लेकिन नहीं कराया गया		नए शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनका चुनाव होना था	शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या जिनका चुनाव होना था	दिसम्बर 2021 की स्थिति तक चुनाव में देरी(महीने)
	माह/वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	माह/वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या			
1	नवंबर 2015	1	नवंबर 2020	1	3	4	12
2	दिसंबर 2015	11	दिसंबर 2020	11	0	11	12
	योग	**12**		**12**	**3**	**15**	

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदाय सूचना)

कुल 169 शहरी स्थानीय निकायों में से 151 में दिसंबर 2019 में और 15 मेंएक वर्ष के विलम्ब से दिसंबर 2021 में चुनाव हुए थे। शेष तीन[7] शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के प्रशासक पद के अधीन कार्य कर रहे थे एवं उनकेचुनाव में करीब एक साल की देरी हुई। इस प्रकार, निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव कराने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

अन्य संस्थागत तंत्रों के संबंध में हमने निम्नलिखित पाया:

- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 27 और 54 के अनुसारनगर निगम/परिषदों को अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करना आवश्यक है। इसके अलावा नगर निगम की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त राज्य सरकार या निर्धारित प्राधिकारी को भेजा जाना आवश्यक है साथ ही इसकी एक प्रति नगर

[7] तीन शहरी स्थानीय निकायों का गठन दिसम्बर 2020 में किया गया था।

निगम/परिषद के नोटिस बोर्ड पर कार्यवृत्त की पुष्टि दिनांक से सात/दस दिनों के भीतर चिपकाई जाएगी।

हमने देखा कि कई शहरी स्थानीय निकाय वस्तुतः निष्क्रिय हैं क्योंकि नमूना–जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में से 11[8] में निर्धारित बैठकें नहीं हुई थीं।

- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और नगर पालिका अधिनियम की धारा 46 और 71 के अनुसारअपनी पहली बैठक के बाद सभापति को निर्वाचित पार्षदों में से नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के प्रत्येक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करना होता है, जो प्रत्येक दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

सलाहकार समितियों का गठन 27 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 10[9] शहरी स्थानीय निकायों में नहीं किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जनवरी 2022) अपर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को सलाहकार समितियों के गठन के लिए निर्देश (जनवरी 2022) जारी किए हैं।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि मुख्य रूप से कोविड–19 के प्रसार के कारण चुनाव समय पर नहीं हो सके और 15 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव दिसंबर 2021 में कराए गए हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों को सलाहकार समितियां गठित करने के निर्देश जारी किए जायेंगे।

3.3.3 वार्ड एवं मोहल्ला समितियां

- संविधान के अनुच्छेद 243एस और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और नगर पालिका अधिनियम की धारा 48क और 72क में प्रावधानित है कि सभापति के चुनाव की तारीख से 30 दिनों के भीतर तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाली प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक या अधिक वार्डों वाली एक वार्ड समिति का गठन किया जाना चाहिए। दूसरे और तीसरे राज्य वित्त आयोग ने भी इन समितियों के गठन की सिफारिश की है।

- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 48 (ख) में प्रावधानित है कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया है, अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर एक मोहल्ला समिति भी गठित की जानी है। हमने देखा कि वार्ड समिति का गठन केवल कोरबा में किया गया था और चयनित शहरी स्थानीय निकायों में मोहल्ला समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसने स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य को विफल कर दिया और इसका विकास कार्यों की प्राथमिकता, कार्यों के निष्पादन की निगरानी, सृजित संपत्ति के उपयोग और रखरखाव आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- संविधान के अनुच्छेद 243जेडडी और जिला योजना समिति अधिनियम की धारा 3 में प्रावधानित है कि जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाना है। इन योजनाओं में स्थानिक योजना ; पानी और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा; बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण एवं उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार चाहे वित्तीय हो या अन्य शामिल होगी। विकास योजना को राज्य योजना में एकीकृत किया जाना था। इसके अलावा समिति की

[8] रायपुर, दुर्ग, भिलाई, तिल्दा, कवर्धा, डभरा, जरही, गंडई, बीजापुर, सुकुमा और बैकुण्ठपुर
[9] अर्जुन्दा, छुईखदान, डोंगरगाव, गंडई, गुंडरदेही, जामुल, खैरागढ़, कोरबा, पथरिया और सुकुमा

बैठक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। हमने देखा कि यद्यपि जिला योजना समितियों का गठन वर्ष 2015–20 के दौरान किया गया था किन्तु दुर्ग, कोंडागांव और सुकुमा जिले में समितियों की कोई बैठक नहीं हुई थी, सूरजपुर और कबीरधाम में केवल एक बैठक हुई थी और रायपुर में वर्ष 2015–20 के दौरान तीन बैठकें हुई थीं। इसके अलावा समग्र रूप से जिले के लिए समेकित जिला विकास योजना उन 12 जिलों में जिनमें 27 नमूना–जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय स्थित थे किसी में भी शहरी स्थानीय निकायों से योजनाएँ प्राप्त किए बिना तैयार की गई थी।

- प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र[10] में विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति होगी। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम में प्रावधान के अभाव में किसी भी शहर में महानगर योजना समितियों का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार महानगरीय क्षेत्र का व्यापक विकास और स्थानीय अधिकारियों के बीच सामान्य हित के मामले जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, पानी का बंटवारा, अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा और बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे शामिल हैं, उप–इष्टतम तरीके से किए जाने की संभावना है।
- लेखापरीक्षक प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए एक नगर लेखा समिति का गठन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में इंगित दोषों या अनियमितताओं को दूर किया जाना है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा जाना है। किसी भी चयनित नगर निगम में नगर लेखा समिति का गठन नहीं किया गया था। 27 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में स्थापना से लेकर वर्ष 2019–20 तक की अवधि से संबंधित कुल 20,526 लेखापरीक्षा कण्डिकाएं लंबित थी।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि नगर निगम रायपुर में वार्ड समिति का गठन किया गया है, नगर निगम, कोरबा में प्रस्ताव पारित किया गया है तथा शेष नगर निगमों को प्राथमिकता के आधार पर वार्ड समिति गठित करने के निर्देश दिये जायेंगे तथा जिला कलेक्टरों को शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर मोहल्ला समितियां की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये जायेंगे। आगे बताया गया कि जिला विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को अपनी वार्षिक योजनाएँ तैयार कर जिला योजना समिति को समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.3.4 राज्य वित्त आयोग

प्रत्येक पांच वर्ष में गठित एक राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को सिफारिशें करेगा।

तदनुसार वर्ष 2021–22 से पांचवां राज्य वित्त आयोग देय था। हालाँकि आज की तारीख में दूसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था। यद्यपि तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को संशोधनों के साथ अक्टूबर 2019 में स्वीकार कर लिया गया है, उनके कार्यान्वयन में देरी हुई है। राज्य वित्त आयोग के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी का विवरण नीचे **तालिका 3.4** में वर्णित है:

[10] दस लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र।

तालिका 3.4: राज्य वित्त आयोग के गठन और सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी

राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना था	पिछले राज्य वित्त आयोगों के संदर्भ में गठित किया जाना था	वास्तविक गठन	प्रस्तावित संविधान से दिनों में देरी	सिफारिशें प्रस्तुत करने की तिथि	शासन द्वारा स्वीकृति	स्वीकृति के लिए लिए गए दिन (दिनों में)	शामिल अवधि
प्रथम	2001–02[11]	01.04.2001	22.08.2003	774	30.05.2007	30.07.2009	790	2005–2011
द्वितीय	2006–07	21.08.2008	23.07.2011	1066	31.03.2013	जुलाई 2013	122	2011–2020
तृतीय	2011–12	22.07.2016	20.01.2016	बिलम्ब नहीं	30.09.2018	अक्टूबर 2019	396	2020–2025

(स्रोतः वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना)

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण में और देरी हुई जिसने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति परविपरीत प्रभाव डाला। इसके प्रभाव की चर्चा **कण्डिका 4.1.2** में की गई है।

3.3.4.1 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को समग्रता में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर सकती है। हमने देखा कि राज्य सरकार ने कुछ सिफारिशों को संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई किया जाना बाकी था। पहले, दूसरे और तीसरे राज्य वित्त आयोगों की महत्वपूर्ण सिफारिशें और निधियों के हस्तांतरण के संदर्भ में उनके संशोधन नीचे **तालिका 3.5** में दिए गए हैं:

तालिका 3.5: राज्य वित्त आयोग के अनुसार महत्वपूर्ण सिफारिशें और उनके संशोधन

राज्य वित्त आयोग	सिफारिशें	संशोधन
प्रथम	राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 1.66 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना।	राज्य सरकार ने वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 1.21 प्रतिशत स्वीकार किया।
द्वितीय	राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 1.85 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना।	राज्य सरकार ने वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक राज्य के स्वयंके कर राजस्व का 1.85 प्रतिशत स्वीकार किया।
तृतीय	वर्ष 2017–18 से शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 2.09 प्रतिशत हस्तांतरण।	राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 2.09 प्रतिशत स्वीकार किया और वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के लिए 2.09 प्रतिशत के स्थान पर 1.85 प्रतिशत दिया गया।

(स्रोतः राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें)

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया है और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को कैबिनेट के अनुमोदन एवं राज्य सरकार के निर्णय के बाद स्वीकार किया जाएगा।

[11] छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से बना है और 01 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया एवं मध्य प्रदेश में पहला राज्य वित्त आयोग वर्ष 1996–2001 की अवधि के लिए गठित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य वित्त आयोग के गठन और सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी ने शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता के साथ–साथ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका को प्रतिबंधित कर दिया।

3.3.5 संपत्ति कर बोर्ड और नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को सभी संपत्तियों की गणना, संपत्ति कर का आंकलन करने, वर्तमान संपत्ति कर प्रणाली की समीक्षा करने, उपयुक्त संपत्तियों के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए आधार और आवधिक संशोधन के तौर–तरीकों पर सिफारिशें करने हेतु संपत्ति कर बोर्ड का गठन किये जाने की सिफारिश की गई।

हमने देखा कि एक दशक बीत जाने के बाद भी राज्य में संपत्ति कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और गैर–मूल्यांकन और कम मूल्यांकन वाली संपत्तियों को संपत्ति कर के दायरे में लाने और संबंधित कार्यों को करने के लिए नगर वित्त के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग के गठन की भी सिफारिश की थी।

यद्यपि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (मई 2011) अधिनियमित किया था किन्तु आयोग का गठन अभी किया जाना है।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका 'भवन/भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण' नियम को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया है। इसलिए संपत्ति कर बोर्ड और छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार संपत्ति कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। इसके अलावा जैसा कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (मई 2011) अधिनियमित किया, जिसने छत्तीसगढ़ नगर राजस्व नियामक आयोग के गठन को अनिवार्य किया, लेकिन इसका गठन नहीं किया गया था।

3.3.6 राज्य शहरी शासन और विकास संस्थान

तीनों राज्य वित्त आयोगों ने सभी नगर पालिका के निर्वाचित और नियुक्त दोनों पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी।

हमने देखा कि राज्य शहरी शासन और विकास संस्थान की स्थापना नहीं हुई थी और वर्ष 2015–2020 के दौरान राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में 4441 में से केवल 245 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उचित प्रशिक्षण के अभाव से केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन, वास्तविक निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं विभिन्न करों/शुल्कों/प्रभारों आदि के संग्रहण पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, 2015–2020 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि राज्य प्रशासनिक अकादमी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोऱा एवं राष्ट्रीय संस्थान 'क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए एक अलग प्रशिक्षण संस्थान की कोई आवश्यकता नहीं है।

तथ्य यह है कि वर्ष 2015–2020 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए

कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

3.3.7 प्रोद्भवन आधारित लेखांकन का अंगीकरण

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी) द्वारा भारत में शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट और लेखा प्रारूपों की सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। सीएजी टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार को अपनाने का सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समस्त शहरी स्थानीय निकायों में प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2011 से की गई और छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियमावली के अनुसार चरणबद्ध तरीके सें प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अंगीकृत किया गया था।

हमने देखा कि शहरी स्थानीय निकाय एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली में मैनुअल रूप से खातों का रखरखाव कर रहे थे। इसके बाद एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली से दोहरी प्रविष्टि में लेखा तैयार करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किया जाता है। जिसके फलस्वरुप वर्ष 2019–20 तक के लेखा परीक्षित लेखाओं का संकलन एवं लेखापरीक्षण किया जा चुका है तथा वर्ष 2020–21 के लेखाओं का संकलन किया जा रहा है।

सिफारिशें:

1. *शासन विकेंद्रीकरण के विजन को हकीकत में बदलने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप उन्हें सौंपे गए कार्यों के संबंध में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान कर सकती है।*
2. *शासन शहरी स्थानीय निकायों को उनकी आवश्यकताओं और कार्यों के अनुरूप मानव संसाधनों का आकलन, भर्ती और प्रबंधन करने के लिए स्वायत्तता प्रदान कर सकती है।*
3. *शासन परिसीमन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपने और शहरी स्थानीय निकायों के समय पर चुनाव सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।*
4. *छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम/छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में सलाहकार समिति, वार्ड समिति और मोहल्ला समितियों जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया जा सकता है और उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पोषित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।*
5. *शासन राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी से बचें और उनकी सिफारिशों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।*